

सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 30.11.2024

इटावा पुलिस द्वारा 25,000/- रुपये का इनामिया (जनपद हाथरस) 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में <u>थाना चौबिया पुलिस</u> द्वारा की गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विरष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 30.11.24 को थाना चौबिया पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत नगला पीपल पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि नगला पीपल पुलिया गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर 01 व्यक्ति अवैध असलहा लिये खड़ा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना चौबिया पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त रवीन्द्र सिंह उर्फ फौजी उर्फ गबदू पुत्र स्व0 सुबे सिंह उर्फ सूबेदार को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सिंहत नगला पीपल जाने वाले रास्ते से समय 14.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पुछताछ:-

गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा कडाई से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त रवीन्द्र सिंह थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस पर पंजीकृत मु0अ0सं0 367/2012 धारा 364/384/302/201/404/411 भादिव मे वांछित है जिसके संबंध मे उस पर 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रवीन्द्र सिंह उर्फ फौजी उर्फ गबदू पुत्र स्व0 सुबे सिंह उर्फ सूबेदार निवासी ग्राम बाउथ थाना बलरई जनपद इटावा उम्र करीब 43 वर्ष।

बरामदगी:-

- 1. 01 तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 130/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास-

रवीन्द्र सिंह उर्फ फौजी उर्फ गबद् पुत्र स्व0 सुबे सिंह

- 1. मु0अ0सं0 367/2012 धारा 364/384/302/201/404/411 भादिव थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस।
- 2. मु0अ0सं0- 130/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा। पुलिस टीम- थानाध्यक्ष श्री बेचन सिंह थाना चौबिया, 30नि0 दर्शन सिंह, 30नि0 मुकन्द लाल यादव, का0 धर्मेन्द्र, का0 विवेक कुमार, का0 पुष्पेन्द्र।